न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023 / 387
पत्थरगढ़ी **प्रार्थना पत्र संख्या :– 68 / 2023**

1. प्रभूदयाल पुत्र स्व. श्री नाथूराम
2. मनोहर लाल पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण दौलतपुरा कोटडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. नन्द किशोर पुत्र भैरू
3. भगवान सहाय पुत्र भैरू

3 / 1. शंकर लाल मीणा पुत्र स्व. भगवान सहाय

3 / 2. राजूलाल मीणा पुत्र स्व. भगवान सहाय

3 / 3. तारा देवी उर्फ नांरगी मीणा पत्नी राकेश मीणा पुत्री भगवान सहाय, निवासी मीणा पालडी, पुराना चूंगी नाका, कानोता बस्सी, रोड, जयपुर।

4. रामफूल पुत्र भैरू
5. श्रवण लाल पुत्र भैरू
6. शांती देवी पत्नी कैलाश मीणा पुत्री भैरू, निवासी खोडा की ढाणी, ग्राम पोस्ट आकेडा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।
7. हनुमान सहाय पुत्र भैरू, समस्त जाति मीणा, निवासीगण गांव भींवपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर, राज0।
8. कल्याण पुत्र पांचूराम
9. खुशबू देवी पत्नी बलदेव शर्मा पुत्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी लारवाली ढाणी, गांव बिलौंची, तह0 आमेर, जिला जयपुर।
10. फुली देवी पत्नी प्रभूदयाल पुत्री पांचूराम गगोदिया, निवासी गांव देगडास, पंचायत समिति रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
11. बिदामी पत्नी रामेश्वर प्रसाद
12. मोहित पुत्र रामेश्वर प्रसाद
13. रामकिशोर पुत्र पांचूराम
14. रामलाल पुत्र रूघनाथ

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण गांव भींवपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

15. आरती कंवर पत्नी किशोर सिंह राजपूत पुत्री भंवर सिंह, निवासी पोस्ट व्यरणा पाबूदर मंदिर, निवासी ढाणी, तह0 नागौर, जिला नागौर।
16. नरोत्तम सिंह पुत्र रामसिंह
17. बेबी कवंर पुत्री स्व. भंवर सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकमण कवंर, जाति राजपूत, निवासी भींवपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।
18. मुकेश सिंह पुत्र राम सिंह
19. रूकमण कंवर पत्नी भंवर सिंह
20. विक्रम सिंह पुत्र भंवरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

समस्त जाति राजपूत, निवासीगण गांव भीवपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

21. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जोन–13, पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
22. बनवारीलाल पुत्र स्व. नाथूराम, जाति कुम्हार, प्रजापत, निवासी दौलतपुरा कोटडा, तह. आमेर, जिला जयपुर परफोरमा अप्रार्थी।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 16.04.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टे0 वाके ग्राम भींवपुरा, पटवार हल्का बगवाडा, भू.अ.नि.क्षे. बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार कई वर्षो से मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते है तथा खेती बाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम भींवपुरा, पटवार हल्का बगवाड़ा, भू. अभि. नि. बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसके सीमाज्ञान के लगती भूमि खसरा नम्बरान् 294, 296, 328, 400, 255/1 अप्रार्थीगण 2 लगायत 20 की कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 21 के नामे खाली भूमि गैर मुमकिन नाला आदि स्थित है जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण 2 लगायत 21 को पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित हेतु आवेदन पत्र बाबत् सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2021 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय आमेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी रसीद संख्या 23/07.06.2021 तहसीलदार, तहसील आमेर द्वारा जारी की गयी। जिसके तहत तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ./21/2875 दिनांक 11.08.2021 की पालना में पटवारी हल्का बगवाड़ा, आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 17.06.2021 को सीमा–ज्ञान पालना रिपोर्ट पेश की गयी एवं सीमा–ज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि वर्णित मद संख्या 1 में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 के आदेश की पालना में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टेयर का सीमा–ज्ञान किया गया है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की सभी प्रकार के झगडे–टन्टों से साफ व मुक्त है एवं प्रार्थीगण की उक्त भूमि का तकासमें की कार्यवाही के तहत ही अलग खाता कायम होकर लगान अदा किया जा रहा है। प्रार्थीगण के पक्ष में श्रीमान् पटवार हल्का बगवाडा द्वारा दिनांक 17.06.2021 को सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट को पेश की गयी थी परन्तु कोविड–19 के चलते प्रार्थीगण को उसकी नकल प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान प्रार्थीगण के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया एवं प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

पिताजी की मृत्यु दिनाक 30.01.2022 को हो गयी जिसके कारण प्रार्थीगण शोक में रहे है। इसके पश्चात् प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट की नकल हेतु आवेदन किया गया जिसकी नकल प्रार्थीगण को दिनांक 05.10.2023 को प्राप्त हुई है जिसके तहत आवेदन अन्दर मियाद पेश है परन्तु जो विलम्ब हुआ है वह युक्तियुक्त कारण से हुआ है जो जानबूझकर नही की गयी है जो मजबूरीवश देरी हुई है जिसको कन्डोन किये जाने की प्रार्थीगण प्रार्थना करते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम भींवपुरा, पटवार हल्का बगवाडा, भू. अभि. नि. बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता पुलिस थानाधिकारी दौलतपुरा, जिला जयपुर की सहायता से पटवारी हल्का बगवाड़ा द्वारा फर्द मौका सीमाज्ञान खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम भींवपुरा, पटवार हल्का बगवाडा, भू. अभि. नि. बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में पारित आदेश क्रमांक भू. अ./21/2875 दिनांक 11.08.2021 की पालना रिपोर्ट के मुताबिक करने हेतु तहसीलदार महोदय, आमेर, पटवारी हल्का बगवाडा व गिरदावर हल्का को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 20 की सम्यक तामिल पूर्ण होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण प्रतिवादी संख्या 22 का जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./4794 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार हैः— ग्राम भींवपुरा के आराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्टे0 किस्म चाही ए जाव ए की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड चालू जमाबंदी के खाता संख्या 85 में दर्ज आराजी ख0न0 295 में दर्ज खातेदार प्रभूदयाल पुत्र नाथूराम हि0 1/3, बनवारी लाल पुत्र नाथूराम हि0 1/3, मनोहरलाल पुत्र नाथूराम हि0 1/3 जाति कुम्हार सा0 दौलतपुरा खातेदार दर्ज है। ख0न0 295 के उत्तरी भाग में ख0न0 294 की सीमा, उत्तरीपूर्वी भाग पर ख0न0 255/1, पूर्वी भाग पर ख0न0 400 की सीमा, दक्षिणी भाग में ख0न0 328 की सीमा, पश्चिमी सीमा पर ख0न0 296 की सीमा लगती है। ग्राम भींवपुरा के ख0न0 294 रकबा 0.75 किस्म बारानी ए की खातेदारी नंदकिशोर, भगवानसहाय, रामफूल, श्रवणलाल, हनुमान सहाय, शांति देवी पिता भैरू जाति मीणा सा0देह खातेदार, ख0न0 400 किता 01 रकबा 0.14 हैक्टे0 किस्म गै0मु0 रास्ता, ख0न0 255/1 रकबा 0.27 हैक्टे0 किस्म गै0मु0रास्ता की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्स पूर्ण संस्था के लिए दर्ज तथा ख0न0 328 किता 01 रकबा 0.36 हैक्टे0 किस्म चाही ए की खातेदारी कल्याण पुत्र पांचूराम हि0 5/36, खुशबू देवी पुत्री रामेश्वर प्रसाद हि0 5/108, फूली देवी पुत्री पांचू हि0 1/12, बिदामी देवी

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

पत्नि रामेश्वर प्रसाद हि0 5/108, मोहित पुत्र रामेश्वर प्रसाद हि0 5/108, रामकिशोर पुत्र पाचूराम हि0 5/36 राहिन बैंक एचडीएफसी बैंक शाखा चौमूं, जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार तथा ख0न0 296 रकबा 0.36 हैक्ट0 की खातेदारी विक्रम सिंह, भारती कंवर, आरती कंवर पिता भंवर सिंह, रूकमण कंवर पत्नि भंवर सिंह हि0 1/4, मुकेश सिंह, नरोत्तम सिंह, बेबी कंवर पिता रामसिंह हि0 3/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड चालू जमाबंदी के उक्त आराजी पर स्थगन व रेफरेन्स नही है।

::— आदेश —::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :—

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.81 हैक्ट0 वाके ग्राम भींवपुरा, पटवार हल्का बगवाडा, भू.अ.नि.क्षे. बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये
02. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।
03. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप—1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।
04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।
05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 16.04.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

उपखण्ड अधिकारी ★ आमेर जिला—जयपुर